आपराधिक विविध प्रकरण संख्या-202/2026
मंजूलता बनाम सुरेन्द्र व अन्य
एफआईआर नंबर- 23 / 2026 पुलिस थाना मकबरा, कोटा
दिनांक: 13-07-2026

अधिवक्ता प्रार्थिया श्री राजेश कुमार उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम-1 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह सोनी उपस्थित तथा अप्रार्थी क्रम-2 की ओर से अपर लोक अभियोजक उपस्थित। प्रार्थिया मंजूलता की ओर से जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 श्रीमान सैशन न्यायाधीश कोटा के समक्ष पेश किया गया, जो विधिवत सुनवाई व निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त हुआ। प्रार्थनापत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई एवं केसडायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थिया ने लिखित बहस पेश की और प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी/अभियुक्त क्रम 1 की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में एक जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 483 बीएनएसएस मय शपथ-पत्र के दिनांक- 10.04.2026 को जानबूझकर असत्य कथन पेश कर न्यायालय को गुमराह कर अनुचित लाभ प्राप्त करने की गरज से प्रस्तुत किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.04.2026 को किया गया है।

अप्रार्थी क्रम 1 के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र में लिखा कि "इस प्रकार से परिवादिया ने उक्त विवादित राशि के सम्बन्ध में मुल्जिम से चैक प्राप्त कर मुल्जिम के विरूद्ध एन आई एक्ट की धारा- 138 के अधीन कार्यवाही भी न्यायालय में पेश कर दी है" ..... "फरियादिया ने दो दो कार्यवाहियां न्यायालय में संस्थित कर दी है" ..... "परिवादिया ने भी एन आई एक्ट के अधीन कार्यवाही न्यायालय में पेश कर दी है"। जिसके समर्थन में अप्रार्थी क्रम 1 के अधिवक्ता ने शपथ पत्र भी पेश किया गया था, जबकि परिवादिया ने मुल्जिम के विरूद्ध धारा- 138 एन आई एक्ट का कोई मुकदमा पेश नहीं कर रखा है और किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अप्रार्थी क्रम 1 ने न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र में असत्य तथ्यों का कथन करते हुये जमानत का अनुचित लाभ प्राप्त कर लिया है, जो पूर्णत्या अवैध व गैर कानूनी है इसलिये अप्रार्थी क्रम-1 का जमानत आदेश दिनांक 16.04.2026 को निरस्त कर मुलजिम को गिरफ्तार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थनापत्र के समर्थन में मंजूलता का

Authenticated Document

शपथपत्र पेश किया तथा अपने पक्ष के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये-

(1) मोतीलाल सोंगारा बनाम प्रेमप्रकाश (2013) 9 एससीसी 199

(2) के0 डी0 शर्मा बनाम एस.ए.एल. (2008) 12 एससीसी 481

(3) कुशा दुरूका बनाम ओडिसा राज्य (2024) 4 एससीसी 432

(4) जेबा खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026) आईएनएससी 144

(5) मेघमाला व अन्य बनाम जी. नरसिम्हा रेड्डी व अन्य (2010) 8 एससीसी 383

(6) एक्स बनाम तेलंगाना राज्य व अन्य (2018) 16 एससीसी 511

(7) गीता देवी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य 2023 (4) सीजे (क्रि.) राज. 2613

(8) भूरीबाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 (4) सीजे (क्रि.) एससी 1241

जिसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम-1 ने दौराने बहस लिखित बहस पेश करते हुए उसमें अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार मुलजिम को बिना किसी ठोस आरोप के जैल भेजने का कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है एवं न्यायालय के न्यायिक दृष्टातों के अनुसार अप्रार्थी की व्यक्तिगत स्वतत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा जमानत आदेश पारित होने के बाद फरियादी को कोई अधिकार नहीं है कि जैल के आदेश को पुनः जीवित करे और बिना किसी ठोस आरोप के पुनः जैल भेजना कानून की मंशा नहीं है। प्रार्थिया का कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है, प्रार्थिया का आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अपर लोक अभियोजक ने नियमानुसार प्रार्थनापत्र निस्तारित करने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया। अभिलेख व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया। अभिलेख से यह निर्विवाद है कि वर्तमान आवेदन का आधार वही तथ्य है, जिनके संबंध में प्रार्थिया द्वारा पृथक से धारा 379 एवं 215 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पर इस न्यायालय द्वारा पृथक आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें प्रथमदृष्टया यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमानत आवेदन एवं शपथपत्र में असत्य तथ्यों के प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहींृ है। किन्तु जमानत निरस्तीकरण का प्रश्न अलग से विचारणीय है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जमानत प्रदान किए जाने के पश्चात उसका निरस्तीकरण केवल इसलिए नहीं किया जा सकता कि अभियोजन या परिवादी जमानत आदेश से असहमत है। जमानत निरस्त करने के लिए यह देखा जाता है कि अभियुक्त ने जमानत का दुरुपयोग किया है, गवाहों को प्रभावित किया है, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की है,

फरार होने का प्रयास किया है अथवा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिनसे जमानत पर बने रहना न्यायहित के प्रतिकूल हो।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा जमानत निरस्तीकरण हेतु जो आधार प्रस्तुत किए गए हैं, वे मूलतः जमानत आवेदन में कथित असत्य तथ्यों के उल्लेख तक सीमित हैं। अभिलेख पर ऐसा कोई स्वतंत्र तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह परिलक्षित हो कि जमानत प्राप्त करने के पश्चात अभियुक्त ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया हो, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की हो, गवाहों को प्रभावित किया हो अथवा न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न की हो। ऐसी सूरत में उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित, युक्तियुक्त व सद्भावी प्रतीत नहीं होता है जो एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थनापत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

ASHA JAIN
Digitally signed by ASHA JAIN
Date: 2026.07.13 16:35:31 +0530

Authenticated Document

Authenticated Document